



केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.
Tel.: 011-2695168, 8860748880
Email- mpquota@kvs.gov.in
Website: www.kvsangathan.nic.in

F. No.110331/03/2020-21/KVS(HQ)/Sp.Disp/MP (RS)

दिनांक- 14.08.2020

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

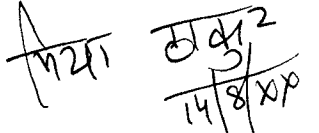
माननीय सांसद **Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या. 906 के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2020-21 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	AYUSH PAL	BISWAJIT PAL, MOB- 7278458018	2	ALIPORE, COMMAND HOSPITAL, KOLKATA
2	BHABNA PARIDA	BIDHAN CHANDRA PARIDA, MOB- 9903412789	1	BAMANGACHI
3	SYED RAIYAN ALI	SYED ALTAZ ALI, MOB- 9831635359	4	GARDEN REACH
4	AYMAN RAHAMAN MONDAL	MONTANA KHATUN MONDAL, MOB- 98685609741	1	BALLYGUNGE
5	TANVIR HASAN MOLLAH	HABIBUR RAHAMAN MOLLAH, MOB- 9903890768	8	GARDEN REACH
6	RUTHVIKA MISHRA	RANJIT MISHRA, MOB- 8910285448, 9123843211	1	NO. 1 SALT LAKE
7	INDRASHIS SEAL	PRALAYJIT SEAL, MOB- 9123364730, 8961620380	3	IIMC JOKA
8	ZAID RAHMAN	JAWEDAR RAHMAN, MOB- 8100105329	1	BALLYGUNGE
9	AYISHE DAS	APU DAS, MOB- 9830956530, 8017335933	2	IIMC JOKA
10	ISITA DEY	GAUTAM DEY, MOB- 9748102733	2	IIMC JOKA

पिता ठाकर
 कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. स. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2020-21 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी। प्रवेश की अंतिम तिथि **31.08.2020** है।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।


संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri Bikash Ranjan Bhattacharyya माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, के वि सं, KOLKATA संभाग को सूचनार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)